

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव  
उप सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक १५ दिसम्बर 2008

विषय:- सेन्ट फान्सिस मिशन स्कूल, लौंगा खेड़ा, तेलीबाग, लखनऊ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं हैं।

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में तिनिज कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मौग नहीं की जाएगी और यदि यूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से पान्यता प्राप्त हो तथा विद्यालय की सबद्धता टैंटल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस घरीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

  
PRINCIPAL  
ST. FRANCIS' MISSION SCHOOL  
LAUNGA KHEDA, LKO.

  
MANAGER  
St. Francis' Mission School  
Launga Khera, Telibagh  
LUCKNOW

- (5) संस्था के शैक्षिक एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगा।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 3 उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूंक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ममता श्रीवारस्तव )  
उप सचिव।

### पृष्ठां संख्या एंव दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3— जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 4— निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5— प्रबन्धक, सेन्ट फ्रान्सिस मिशन स्कूल, लौंगा खेड़ा, तेलीबाग, लखनऊ।
- 6— गार्ड बुक

जीशा से

ममता  
(ममता श्रीवारस्तव)  
उप सचिव।

Shashi  
MANAGER  
St. Francis' Mission School  
Launga Khera, Telibagh  
LUCKNOW

PRINCIPAL  
ST. FRANCIS' MISSION SCHOOL  
LAUNGA KHEDA, LKO